छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771-2437309, 2437065, FAX – 0771-2429385 ; website: www.cgbse.nic.in

क्र./2206 / डीएलएड/ 2021

रायपुर, दिनांक 26.10.2021

प्रति,

अत्यावश्यक निर्देश

प्राचार्य,

समस्त मान्यता प्राप्त डीएलएड संस्थायें,

छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः डीएलएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के ग्राह्यता प्रकरण के संबंध में ।

---**---

मण्डल द्वारा आयोजित डीएलएड परीक्षा में प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के ग्राह्यता प्रकरण एवं निर्धारित शुल्क पूर्व वर्षो में ऑफलाईन किये जाते रहे है। डीएलएड की परीक्षा वर्ष 2022 से प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के ग्राह्यता प्रकरण एवं शुल्क भी ऑनलाईन लिया जायेगा।

ग्राह्यता प्रकरण का हेतु निम्न बिन्दुओं को शामिल किया जायेगाः–

1. अन्य बोर्ड से हायर सेकण्डरी की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ग्राह्यता प्रकरण में शामिल होगें।
2. छग माशिमं, से हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण होकर कॉलेज की पढ़ाई कर चुके अर्थात् मण्डल कार्यालय से माइग्रेशन प्राप्त कर चुके परीक्षार्थी।
3. इसी प्रकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण ऐसे परीक्षार्थी जिनके द्वारा पढ़ाई में 5 वर्ष का अंतराल लिया गया हो।

संस्थाओं द्वारा काउन्सलिंग उपरांत प्रवेशित प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों की ऑनलाईन पोर्टल में प्रविष्टि करने के उपरांत ग्राह्यता शुल्क (220 रूपये), नामांकन शुल्क (110 रूपये) एवं परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क (60 रूपये) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। शुल्क भुगतान करने के उपरांत पोर्टल से प्रत्येक परीक्षार्थियों के ग्राह्यता आवेदन डाउनलोड कर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ 15 दिवस के भीतर आवेदन दो प्रतियों मण्डल कार्यालय में जमा किया जाना होगा :–

i) कक्षा 10वीं, 12वीं की अंकसूची की मूल/संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित प्रति।
ii) अन्य बोर्ड/राज्य से आये परीक्षार्थियों के मूल स्थानांतरण एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र।
iii) यदि महाविद्यालय की शिक्षा पूर्ण की गई हो तो अंकसूची की संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित प्रति।
iv) एससीईआरटी द्वारा काउंसलिंग के बाद कॉलेज आबंटन पत्र की प्रति।
v) व्यापम द्वारा आयोजित की गई प्री–डीएलएड की अंकसूची की प्रति।
vi) ऑनलाईन शुल्क भुगतान की पावती।
vii) गेप सर्टिफिकेट की मूल प्रति (यदि लागू हो तो)।

उक्त दस्तावेजों सहित प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत मण्डल कार्यालय द्वारा ग्राह्यता/नामांकन जारी किया जायेगा। नामांकन जारी होने के उपरांत ही संस्था द्वारा पूर्व की भांति परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

विशेष नोट :– ग्राह्यता प्रकरण एवं निर्धारित शुल्क किसी भी स्थिति में ऑफलाईन नही लिया जायेगा।

25.10.21

(प्रोफेसर व्ही.के. गोयल)
सचिव
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर (छ.ग.)